निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1338) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०–01–11/2025–5083/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 07, 2025]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।–

(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,–

(क) धारा 6 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत होगी ;

(ख) धारा 2 से धारा 5 तथा धारा 7 से धारा 15, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन।– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,––

(i) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (69) में,––

(क) उपखंड (ग) में "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण**–– इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,––

(क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;'।

3. धारा 12 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

4. धारा 13 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 17 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण 2**––खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।'।

6. धारा 20 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,––

(i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

7. धारा 34 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौति अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि––

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

8. धारा 38 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 38 में,––

(i) उपधारा (1) में "स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,––

(क) "के अधीन स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा

(ग) खंड (ख) में, "उक्त ब्यौरे" के पश्चात "सहित" शब्द रखा जाएगा

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।"।

9. धारा 39 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 107 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"

11. धारा 112 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"

12. नई धारा 122ख का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"122ख. खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति।–

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रूपए की रकम के समतुल्य या ऐसे माल पर संदेय कर की दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।"

13. नई धारा 148क का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"148क. कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि–

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,––

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,––

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति –

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित हैं, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाए।"

14. **अनुसूची 3 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,––

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्––

"(क क) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुफ्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति "

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर, "पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :–

'स्पष्टीकरण 3–– पैरा 8 के खंड (क क) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भंडागार क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।'

15. **संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं।**– सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 14 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

---

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०–01–11/2025–**5084/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 **(बिहार अधिनियम 07, 2025)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 07, 2025]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy- sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided in this Act,-

(a) section 6 shall come into force on the 1st day of April, 2025 ;

(b) sections 2 to 5 and sections 7 to 15 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. ***Amendment of Section 2.—*** In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred as the principal Act), in section 2,—

(*i*) in clause (*61*), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (*3*) or sub-section (*4*) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

(*ii*) in clause (*69*),—

(*a*) in sub-clause (*c*), for the words "municipal or local fund", the word "municipal fund or local fund" shall be substituted;

(*b*) after sub-clause (*c*), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

'*Explanation*.—For the purposes of this sub-clause—

(*a*) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

(*b*) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;';

(*iii*) after clause (*116*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*116A*) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (*b*) of sub-section (*2*) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;'.

3. ***Amendment of Section 12.—*** In section 12 of the principal Act, sub-section (*4*) shall be omitted

4. ***Amendment of Section 13.—*** In section 13 of the principal Act, sub section (*4*) shall be omitted.

5. ***Amendment of Section 17.—*** In section 17 of the principal Act, in sub-section (*5*), in clause (*d*),—

(*i*) for the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;

(*ii*) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation* 1 thereof, and after *Explanation* 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

'***Explanation* 2.—** For the purposes of clause (*d*), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery";'.

6. ***Amendment of Section 20.—*** In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,—

(*i*) in sub-section (*1*), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (*3*) or sub-section (*4*) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be inserted;

(*ii*) in sub-section (*2*), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (*3*) or sub-section (*4*) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be inserted

7. ***Amendment of Section 34.—*** In section 34 of the principal Act, in sub-section (*2*), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

(*i*) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(*ii*) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".

8. ***Amendment of Section 38. —*** In section 38 of the principal Act,—

(*i*) in sub-section (*1*), for the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be substituted;

(*ii*) in sub-section (*2*),—

(*a*) for the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be substituted;

(*b*) in clause (*a*), the word "and" shall be omitted;

(*c*) in clause (*b*), after the words "by the recipient,", the word "including" shall be inserted;

(*d*) after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*c*) such other details as may be prescribed.".

9. ***Amendment of Section 39.—*** In section 39 of the principal Act, in sub-section (*1*), for the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.

10. ***Amendment of Section 107.—*** In section 107 of the principal Act, in sub-section (*6*), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.".

11. ***Amendment of Section 112. —***In section 112 of the principal Act, in sub-section (*8*), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (*6*) of section 107 has been paid by the appellant.".

12. ***Insertion of new Section 122B.-*** After section 122A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.

Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.".

13. ***Insertion of new Section 148A.-*** After section 148 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"148A. Track and trace mechanism for certain goods.

(*1*) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

(*a*) the goods;

(*b*) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.

(*2*) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (*a*) of sub-section (*1*),—

(*a*) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(*b*) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(*3*) The persons referred to in sub-section (*1*), shall,—

(*a*) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(*b*) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(*c*) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(*d*) pay such amount in relation to the system referred to in sub- section (*2*), as may be prescribed.".

14. ***Amendment of Schedule III.-*** In Schedule III of the principal Act,–

(*i*) in paragraph 8, after clause (*a*), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(*aa*) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";

(*ii*) in *Explanation* 2, after the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (*a*) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

(*iii*) after *Explanation* 2, the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"*Explanation* 3.—For the purposes of clause (*aa*) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005."

15. ***No refund of tax collected.*** **—**No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material times.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1338-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in